

अनुदान संख्या 99 - शहरी विकास विभाग
GRANT No. 99-DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	26,08,00	24,65,64	-1,42,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			शून्य Nil
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i> 1067,79,00	1122,06,00	924,86,70	-197,19,30
पूरक	<i>Supplementary</i> 54,27,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			141,12,26
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	<i>Charged-</i>	31,00,00	22,44,30	-8,55,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			7,50,00
स्वीकृत-	<i>Voted-</i>			
मूल	<i>Original</i> 1120,54,00	1132,98,00	1054,86,79	-78,11,21
पूरक	<i>Supplementary</i> 12,44,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	<i>Amount surrendered during the year</i>			62,13,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग के प्रभारित अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2216'' आवास	Major Head "2216" Housing	2608.00	2465.64	-142.36

(I) 'अन्य आवास - अनुरक्षण और मरम्मतें - मरम्मतें' के अंतर्गत 167.35 लाख रु. की बचत (2270.55 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) राष्ट्रपति सचिवालय उद्यान स्थापना में रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under "Other Housing - Maintenance and Repairs - Repairs" - saving of Rs.167.35 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2270.55 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts in Garden Establishment of President's Secretariat.

2. उपर्युक्त बचत एक शीर्ष के अंतर्गत 66.15 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई जो स्वीकृत विनियोग का 32 प्रतिशत थीं।

2. The above saving was partly offset by an excess of Rs.66.15 lakhs under one head constituting 32 percent of the sanctioned appropriation.

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (19719.30 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 5427.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.19719.30 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.5427.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष '2052'' सचिवालय-सर्वसाधारण सेवाएँ	Major Head "2052" Secretariat-General Services			
मू.	O.	2173.00	2131.42	2054.75
पू.	S.	95.00		
पु.	R.	-136.58		
मुख्य शीर्ष '2215'' जल पूर्ति और सफाई	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation			
मू.	O.	8700.00	5951.00	5850.51
पु.	R.	-2749.00		

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष '2216'' आवास	Major Head "2216" Housing			
मू.	O.	35511.00	36379.16	33987.82
पू.	S.	2331.00		
पु.	R.	-1462.84		
मुख्य शीर्ष '2217'' शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development			
मू.	O.	24355.00	5061.16	2209.34
पू.	S.	3001.00		
पु.	R.	-22294.84		
मुख्य शीर्ष '2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas		13200.00	13030.48
मुख्य शीर्ष '3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	22800.00	35340.00	35353.80
पु.	R.	12540.00		
(I) 15399.00 लाख रु. का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 15000.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष '2217'' - "अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-			(I) Provision of Rs.15399.00 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.15000.00 lakhs accounted for under Major Head "2217"- "Other Urban Development Schemes-Other Expenditure"- under the following heads:-	
(का) "एकत्रित वित्त विकास निधि" - 5000.00 लाख रु. आयकर अधिनियम के संशोधनों की लंबित स्कीम को लागू न किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा एकत्रित वित्त विकास निधि बोर्डों के लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण थे।			(A) "Pooled Finance Development Fund"- Rs.5000.00 lakhs - due to non-implementation of the scheme pending amendments to Income Tax Act and finalisation of guidelines for Pooled Finance Development Fund (PFDF) Boards by the Ministry of Finance.	

(खा) “शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के विशेष प्रयोजन वाहनों के लिए व्यवहार्यता अंतराल निधि” - 2500.00 लाख रु. शहरी अवसंरचना निधि के आरक्षित निधि होने के कारण कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) “ई-अभिशासन पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना” 2 7500.00 लाख रु. स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय - शहरी विकास” - 2173.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 95.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2268.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, 213.35 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने और संबंधित विभागों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष “2216” - “सामान्य पूल आवास - अनुरक्षण और मरम्मतें - संसद सदस्यों के बंगलों की मरम्मतें और अनुरक्षण” - 2000.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2331.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 4331.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2327.65 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रत्याशित लंबित दावों के मूर्तरूप न ले पाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2217” - “अन्य शहरी विकास स्कीमें- नगर निगम को सहायता - जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन” के अंतर्गत 3000.00 लाख रु. की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों के पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने और क्षमता निर्माण को अंतिम रूप न दिए जाने, नगर विकास योजना और प्रारूप परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने की लागत की प्रतिपूर्ति किए जाने के कारण 2816.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(IV) मुख्य शीर्ष “2215” - “मल जल और सफाई - नगर निगम को सहायता - चयनित शहरों में विमानपत्तन के निकट ठोस अपशिष्ट निपटान संबंधी प्रायोगिक परियोजना”

(B) “Viability Gap Fund for SPVs of Urban Infrastructure Projects”-Rs.2500.00 lakhs - due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies being reserve fund for Urban Infrastructure Fund.

(C) “National Mission Mode Project on e-governance” - Rs.7500.00 lakhs - due to non-approval of the scheme.

(II) Supplementary grant remained wholly unutilised under the following major heads as shown against each:-

(A) Major Head “2052”-“Secretariat - Urban Development”- the original provision of Rs.2173.00 lakhs was augmented to Rs.2268.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.95.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.213.25 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from client departments.

(B) Major Head “2216”-“General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Repairs and Maintenance of MP Bungalows”- the original provision of Rs.2000.00 lakhs was augmented to Rs.4331.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2331.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.2327.65 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of anticipated pending claims.

(III) Under Major Head “2217”- “Other Urban Development Schemes - Assistance to Municipal Corporation - Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission” - funds of Rs.3000.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant, which, however, remained unutilised to the extent of Rs.2816.34 lakhs - due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies and non-finalisation of Capacity Building, reimbursement of cost of preparation of City Development Plan and Draft Project Report.

(IV) Under Major Head “2215”- “Sewerage and Sanitation - Assistance to Municipal Corporation- Pilot Project on Solid Waste Disposal near Airport

के अंतर्गत 2900.00 लाख रु. की बचत (3500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा संशोधित लागत अनुमानों को अनुमोदन प्रदान न दिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष '2216' - "सामान्य पूल आवास - अनुरक्षण और मरम्मत" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "रिहायशी भवनों की मरम्मत और रखरखाव" 1944.23 लाख रु. की बचत (23552.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्यों की स्वीकृति/निष्पादन में विलंब होने और बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) "निर्माण" - 147.05 लाख रु. की बचत (1100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू निर्माण कार्यों के बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष '2217' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "अन्य शहरी विकास स्कीमें - अन्य व्यय - शहरी सूचना प्रणाली" - 2170.12 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) "सामान्य" -

(क) "निर्देशन और प्रशासन - शहरी परिवहन योजना" 2801.37 लाख रु. की बचत (2999.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "अनुसंधान - शहरी और क्षेत्रीय योजना में अनुसंधान" - 2119.16 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष '2552' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के

in Selected Cities"- saving of Rs.2900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3500.00 lakhs) was due to non-approval of revised cost estimates by the Planning Commission.

(V) Under Major Head "2216"- "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Repair and Maintenance of Residential Buildings" - saving of Rs.1944.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23552.00 lakhs) was due to delay in sanction/execution of works and non-finalisation of bills.

(B) "Construction" - saving of Rs.147.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1100.00 lakhs) was due to non-clearance of bills of work in progress.

(VI) Under Major Head "2217"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Other Urban Development Schemes - Other Expenditure - Urban Information System" - saving of Rs.2170.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs);

(B) "General"-

(a) "Direction and Administration - Urban Transport Planning"- saving of Rs.2801.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2999.00 lakhs); and

(b) "Research - Research in Urban and Regional Planning" - saving of Rs.2119.16 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies.

(VII) Under Major Head "2552" - "Other Expenditure - Provision for the Projects/Schemes

लिए प्रावधान” के अंतर्गत 169.52 लाख रु. की बचत (13200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों/राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम से उपयोग प्रमाणपत्रा प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VIII) मुख्य शीर्ष ‘3601’ - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - अन्य अनुदान - छोटे और मध्यम नगरों के एकीकृत विकास के लिए केंद्रीय सहायता” के अंतर्गत 154.00 लाख रु. की बचत (10849.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम जो कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में शामिल की जा रही है, के अंतर्गत निधियों की कम आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IX) एक शीर्ष के अंतर्गत 67.29 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹68.16 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ‘2216’ - “सामान्य पूल आवास - रखरखाव और मरम्मतें - संपदा निदेशालय” के अंतर्गत 2331.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 602.24 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ‘2215’ - “जलपूर्ति - शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम - एयूडब्ल्यूएसपी का छोटे कस्बों में विस्तार” - 250.51 लाख रु. का अधिक व्यय (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभान्वित होने वाले राज्यों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मांग किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ‘3601’ - “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

(क) “अन्य शहरी विकास स्कीमों - अन्य अनुदान - मेगा सिटी स्कीम - अवसंरचना विकास” - 12540.00 लाख रु. का अधिक व्यय (11950.00 लाख रु. के

for the benefit of North Eastern Region and Sikkim” - saving of Rs.169.52 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments/National Building Construction Corporation (NBCC).

(VIII) Under Major Head “3601”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Integrated Development of Small and Medium Towns - Other Grants - Central Assistance for Integrated Development of Small and Medium Towns”- saving of Rs.154.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10849.00 lakhs) was due to less requirement of funds under the scheme which is being subsumed in Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM).

(IX) Under one head saving of Rs.67.29 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

4.(I) The above savings were partly (Rs.868.16 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.2331.00 lakh under Major Head “2216”-“General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Directorate of Estates”. Actual excess, however, was Rs.602.24 lakhs.

(II) Savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head “2215” - “Water Supply-Urban Water Supply Programme-Extension of AUWSP to Small Towns”- excess of Rs.250.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to additional demands raised by beneficiary states to complete projects in time.

(B) Major Head “3601”- “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

(a) “Other Urban Development Schemes - Other Grants - Megacity Scheme-Infrastructure Development” - excess of Rs.12540.00 lakhs (against the sanctioned

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं से संबंधित प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(ख) “छोटे और मध्यम नगरों का एकीकृत विकास - अन्य अनुदान - केंद्रीय शहरी अवसंरचना सहायता स्कीम” - 167.80 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय शहरी अवसंरचना सहायता स्कीम के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, बचते निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

provision of Rs.11950.00 lakhs) was due to meet the committed liabilities for on-going projects.

(b) “Integrated Development of Small and Medium Towns - Other Grants - Central Urban Infrastructure Support Scheme”- excess of Rs.167.80 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to meet the requirement of funds under Central Urban Infrastructure Support Scheme (CUISS).

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
---------------------------------------	--	-----------------

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष मुख्य शीर्ष '4216'	Head Major Head "4216"
आवास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Housing
मू.	O.
पु.	R.

(I) 100.00 लाख रु. का विनियोग मुख्य शीर्ष "7601" - "राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम" के अंतर्गत एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - राष्ट्रपति संपदा" के अंतर्गत 737.99 लाख रु. की बचत (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और संबंधित मंत्रालय/विभाग से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

6. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचते (7811.21 लाख रु.) अगस्त, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 1244.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थी।

(I) Appropriation of Rs.100.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "7601"-“Loans and Advances to State Governments”.

(II) Under “Govt. Residential Buildings – Other Housing – President’s Estate” – saving of Rs.737.99 lakhs (against the sanctioned appropriation of Rs.2900.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from client Ministry/Department.

6. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.7811.21 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.1244.00 lakhs obtained in August, 2006 and March, 2007 and constituted 7 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष
मुख्य शीर्ष '4216'
आवास पर पूंजीगत परिव्यय

Head
Major Head "4216"
Capital Outlay on Housing

मू.	O.	28344.00			
पू.	S.	1244.00	23385.00	21786.79	-1598.21
पु.	R.	-6203.00			

(I) 10.00 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.10.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - लोक सभा/राज्य सभा" के अंतर्गत 1050.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 888.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1938.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1070.74 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रत्याशित लंबित अदायगियों के मूर्तरूप न लेने के कारण हुई।

(II) Under "Government Residential Buildings - Other Housing - Lok Sabha/Rajya Sabha"- the original provision of Rs.1050.00 lakhs was augmented to Rs.1938.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.888.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1070.74 lakhs (including supplementary grant) - due to non-materialisation of anticipated pending payments.

(III) "सरकारी रिहायशी भवन - अन्य आवास - विदेश मामले" के अंतर्गत 420.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 354.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 774.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो प्रत्याशित लंबित दावों के मूर्तरूप न लेने के कारण 202.77 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under "Government Residential Buildings - Other Housing - External Affairs"- the original provision of Rs.420.00 lakhs was augmented to Rs.774.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.354.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.202.77 lakhs- due to non-materialisation of anticipated pending claims.

(IV) "सरकारी रिहायशी भवन" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुई:-

(IV) Under "Government Residential Buildings" - savings also occurred under the following heads:-

(का) "सामान्य पूल आवास - शहरी विकास निर्माण" - 4584.53 लाख रु. की बचत (18348.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मिंटो रोड और केन नगर, मुंबई आदि की परियोजनाओं के संबंध में कार्यान्वयन/कार्यकारी अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने और स्थानीय

(A) "General Pool Accommodation - Urban Development Construction" - saving of Rs.4584.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18348.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from implementing/executing agencies and non-receipt of clearance of drawings and plans from local bodies in respect of projects

निकायों से आरेखों और नक्शों की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

at Minto Road and Kane Nagar, Mumbai etc.

(खा) “अन्य आवास” -

(B) “Other Housing” -

(क) “लेखापरीक्षा” - 438.12 लाख रु. की बचत (1600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) “Audit” - saving of Rs.438.12 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1600.00 lakhs) was due to non-receipt of administrative approval and expenditure sanction from the client department.

(ख) “वित्त (राजस्व)” - 492.12 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 4873.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने, चंडीगढ़ में आयकर भवन का कार्य आंबटित न किए जाने, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर में चालू निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति होने और बिलों का निपटान न किए जाने के कारण हुई।

(b) “Finance (Revenue)”- saving of Rs.492.12 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.4873.00 lakhs including supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to non-receipt of administration approval and expenditure sanction from the client department, non-award of work of Income Tax Building at Chandigarh, slow progress of on-going works at Mumbai, Hyderabad, Jaipur and non-clearance of bills.

(ग) “मौसम विज्ञान” - 531.73 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और संबंधित मंत्रालय/विभाग से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) “Meteorology” - saving of Rs.531.73 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less proposals from client Ministry/ Department.

(घ) “खान” - 190.46 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(d) “Mines” - saving of Rs.190.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs); and

(ङ) “रोजगार” - 109.89 लाख रु. की बचत (155.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(e) “Employment” - saving of Rs.109.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.155.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबंधित मंत्रालय/विभाग से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-receipt of sufficient proposals from client Ministry/Department.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 50.66 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of Rs.50.66 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.